रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2276] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937
No. 2276] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2015

**(आयकर)**

**का.आ. 2858(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2915 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2014 की अनुसूची-। में,-

(i) क्रम सं. 1 के सामने, कालम (2) में "अहमदाबाद" के स्थान पर "गुजरात" पढ़ें;

(ii) क्रम सं. 2 के सामने, कालम (2) में " बेंगलुरू" के स्थान पर "कर्नाटक एवं गोवा" पढ़ें;

(iii) क्रम सं. 3 के सामने, कालम (2) में "भोपाल" के स्थान पर "मध्य प्रदेश और छत्तीस गढ़" पढ़ें;

(iv) क्रम सं. 4 के सामने, कालम (2) में "चंडीगढ़" के स्थान पर "उत्तर पश्चिम क्षेत्र" पढ़ें;

(v) क्रम सं. 5 के सामने, कालम (2) में "चेन्नई" के स्थान पर "तमिलनाडु एवं पुडुचेरी" पढ़ें;

(vi) क्रम सं. 6 के सामने, कालम (2) में "हैदराबाद" के स्थान पर "आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तेलंगाना" पढ़ें;

(vii) क्रम सं. 7 के सामने, कालम (2) में "जयपुर" के स्थान पर "राजस्थान" पढ़ें;

(viii) क्रम सं. 8 के सामने, कालम (2) में "कोच्चि" के स्थान पर "केरल" पढ़ें;

(ix) क्रम सं. 9 के सामने, कालम (2) में "कोलकाता" के स्थान पर "पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र" पढ़ें;

(x) क्रम सं. 10 के सामने, कालम (2) में "लखनऊ" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड" पढ़ें;

(xi) क्रम सं. 11 के सामने, कालम (2) में "पटना" के स्थान पर "बिहार एवं झारखंड" पढ़ें;

(xii) क्रम सं. 12 के सामने, कालम (2) में "पुणे" के स्थान पर "महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर)" पढ़ें;

[अधिसूचना सं. 81/2015 /फा.सं. 187/37/2014-आ.क.नि.- I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**CORRIGENDA**

New Delhi, the 19th October, 2015

**(Income-tax)**

**S.O. 2858(E).---**In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 2915 (E) dated the 13th November, 2014 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th November, 2014, in Schedule- I,—

(i) against serial number 1, in column (2), for "Ahmedabad", read "Gujarat";

(ii) against serial number 2, in column (2), for "Bengaluru", read "Karnataka and Goa";

(iii) against serial number 3, in column (2), for "Bhopal", read "Madhya Pradesh and Chhattisgarh";

(iv) against serial number 4, in column (2), for "Chandigarh", read "North West Region";

(v) against serial number 5, in column (2), for "Chennai", read "Tamil Nadu and Puducherry";

(vi) against serial number 6, in column (2), for "Hyderabad", read "Andhra Pradesh, Odisha and Telangana";

(vii) against serial number 7, in column (2), for "Jaipur", read "Rajasthan";

(viii) against serial number 8, in column (2), for "Kochi", read "Kerala";

(ix) against serial number 9, in column (2), for "Kolkata", read "West Bengal, Sikkim and North East Region";

(x) against serial number 10, in column (2), for "Lucknow", read "Uttar Pradesh and Uttarakhand";

(xi) against serial number 11, in column (2), for "Patna", read "Bihar and Jharkhand";

(xii) against serial number 12, in column (2), for "Pune", read "Maharashtra (Except Mumbai)".

[Notification No. 81/2015./ F. No. 187/37/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.